संख्या 2/10/2016-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
- - -

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
दिनांक 13 15 अक्तूबर, 2016

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक।

विषयः संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र का ध्वज फहराए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

हर वर्ष 24 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अतः उस दिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उन सभी भवनों पर,जिन पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र का ध्वज फहराया जाता है। तथापि, राजभवनों/ राजनिवासों और विधान परिषदों, विधान सभाओं तथा उच्च न्यायालयों के भवनों पर संयुक्त राष्ट्र का ध्वज नही फहराया जाना है।

2. भारतीय झंडा संहिता, 2002 के पैरा 3.36 के अनुसार" जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी ओर लगाया जा सकता है। सामान्यतः राष्ट्रीय झंडे को इस प्रकार फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाली दिशा के हिसाब से अपने एकदम दाईं ओर होता है, (अर्थात् झंडा फहराने के समय झंडे की ओर मुख किए हुए व्यक्ति के एकदम बाईं ओर)"।

3. तदानुसार, राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध है कि इस संबंध में उचित अनुदेश जारी करें।

भवदीय,

वी.के. राजन

(वी.के. राजन)
उप-सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 2309 4376

संख्या 2/10/2016-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
- - -

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
दिनांक 15 अक्तूबर, 2015

_कार्यालय ज्ञापन_

विषय : संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र का ध्वज फहराए जाने के संबंध में।

हर वर्ष 24 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन उन सभी भवनों पर, जिन पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, संयुक्त राष्ट्र का ध्वज फहराया जाता है । तथापि, राष्ट्रपति भवन, उप राष्ट्रपति निवास, संसद भवन तथा उच्चतम न्यायालय के भवन पर संयुक्त राष्ट्र का ध्वज नहीं फहराया जाता है।

2. भारतीय झंडा संहिता, 2002 के पैरा 3.36 के अनुसार "जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी ओर लगाया जा सकता है। सामान्यतः राष्ट्रीय झंडे को इस प्रकार फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाली दिशा के हिसाब से अपने एकदम दाईं ओर होता है, (अर्थात् झंडा फहराने के समय झंडे की ओर मुख किए हुए व्यक्ति के एकदम बाईं ओर)"।

3. शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि वह अपने प्रभाराधीन दिल्ली/नई दिल्ली स्थित भवनों को इस संबंध में उचित अनुदेश जारी करें।

वी.के. राजन

(वी.के. राजन)
उप-सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 2309 4376

प्रति प्रेषितः-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. प्रधानमंत्री कार्यालय / राष्ट्रपति सचिवालय / उप राष्ट्रपति सचिवालय / मंत्रिमंडल सचिवालय/ नीति आयोग/लेखा महानियंत्रक/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/उच्चतम न्यायालय/संघ लोक सेवा आयोग / केन्द्रीय सतर्कता आयोग/मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / दिल्ली उच्च न्यायालय/भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण।
3. विदेश मंत्रालय [संयुक्त सचिव (समन्वय)], साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली। इसे भारत के सभी दूतावासों/उच्चायोगों के ध्यान में लाया जाए।
4. विदेश मंत्रालय (यू. एन. आई. अनुभाग), नई दिल्ली।
5. ए.डी.जी (एम. एंड सी), गृह मंत्रालय को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
6. मुख्य इंजीनियर, केन्दीय लोक निर्माण विभाग (नई दिल्ली), निर्माण भवन, नई दिल्ली।